E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–36/2023...4491, दिनांक:14.08.2025
आदेश

प्रस्तुत वाद श्री संजीत कुमार (Emp ID-SKN00857), संविदा समाप्त, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पारित आदेश संख्या–5824 दिनांक–13.07.2023 के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया था। दिनांक–01.07.2024 को अपीलीय प्राधिकार द्वारा निदेशालय आदेश ज्ञापांक–5824 दिनांक–13.07.2023 को निरस्त करते हुए अपील वाद को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को पुनः सुनवाई करने हेतु Remand किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित।

आवेदक का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत हैः–

बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक–956 दिनांक 08.11.2022 द्वारा श्री संजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (Emp.Id-SKN00857) को दिनांक 08.11.2022 को करीब 1:00 बजे अपराह्न में पंचायत सरकार भवन, तेउस स्थित शिविर कार्यालय से निगरानी टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तारी से संबंधित प्रतिवेदन भेजा गया है। इस प्रतिवेदन के अतिरिक्त निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक–3086 दिनांक 11.11.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त विशेष सर्वेक्षण कर्मी के विरूद्ध निगरानी थाना सं0–057/2022 दिनांक 07.11.2022, धारा 7(a)(c) भ्र0नि0अधि0–1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) एवं धारा–120 (B) भा0द0वि0 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है, दर्ज प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित द्वारा डॉ0 अंजनी कुमार से 70,000/– (सतर हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना भेजा गया है। निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा अपने पत्रांक 419 दिनांक 15.02.2023 में धारा 7(a)(c) भ्र0नि0अधि0–1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–120 (B)/170 भा0द0वि0 के तहत अभियोजन स्वीकृति की माँग की गई है। इस अनुरोध के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–4008 दिनांक 28.04.2023 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है।

उपरोक्त आरोप के आलोक में श्री कुमार से इस कार्यालय के पत्रांक–4061 दिनांक 02.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोप को साजिश के तहत बताया है। स्पष्टीकरण में कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है, जो कि इनके द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार जैसे आरोप को खंडित करता है।

अतः ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)'' के आलोक में श्री संजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (Emp.Id-SKN00857) की संविदा नियोजन गिरफ्तारी की तिथि यथा 08.11.2022 से समाप्त किया गया है।

दिनांक–26.07.2024 को सुनवाई के दौरान आवेदक के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–057/2022 सत्र न्यायालय, भागलपुर में लंबित वाद की अद्यतन स्थिति/चार्जशीट की प्रति प्राप्त करते हुए वाद उपस्थापित करने का आदेश दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक, निगरानी, ट्रेप, भागलपुर से प्रतिवेदन प्राप्त।

विशेष लोक अभियोजक, निगरानी, ट्रेप, भागलपुर के पत्र संख्या—2668 दिनांक—14.07.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि Spl.vig.case no.25/2022vig.P.S case no. 57/2022 विशेष न्यायधीश, निगरानी ट्रेप, भागलपुर के न्यायालय में गवाही हेतु लंबित है।

प्रस्तुत वाद में आवेदक कहना है कि निगरानी थाना कांड संख्या—057/2022 के सूचक डॉ अंजनी कुमार का लगाया गया आरोप बेबूनियाद है। डॉ अंजनी कुमार के द्वारा मौजा—पांक—47 के अंतर्गत खाता संख्या—268, खेसरा संख्या—458, रकबा 2.0 डी0 गैरमजरूआ आम एवं खाता संख्या—267, खेसरा संख्या—201, रकबा 05 डि0 गैरमजरूआ खास तथा अन्य रैयती जमीन को अपने नाम से खाता खोलने का (प्रपत्र—2,3) आवेदन दिया गया। आवेदक का स्पष्ट कहना है कि मौजा—पांक—47 से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिला समाहर्त्ता—सह—बन्दोबस्त पदाधिकारी के ज्ञापाक—49 दिनांक 23.01.2021 के द्वारा उक्त मौजा पूजा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नाम से सर्वे कार्य हेतु आवंटित है। आवेदक का आगे कहना है कि गिरफ्तारी की घटना दिनांक—08.11.2022 को हुई। आवेदक द्वारा बताया गया है कि निगरानी वाद के सूचक डॉ अंजनी कुमार की प्रपत्र—2 एवं 3 में वर्णित भूमि का याद्दाश्त संख्या—204 से 209 तक, लगभग दो सप्ताह पूर्व दिनांक—25.10.2022 को ही लिखा गया है और संबंधित कानूनगो, पूजा कुमारी द्वारा सत्यापित भी कर दिया गया है। इनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि घटना के पूर्व अगर कार्य सम्पन्न हो गया है तो निगरानी वाद नहीं बनता।

उक्त के आलोक में आवेदक अपने को निर्दोष बताते हुए अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

प्रस्तुत वाद का परिशीलन किया गया एवं पाया गया कि डॉ0 अंजनी, कुमार के आवेदन दिनांक—21.10.2022 के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा धावादल गठित करते हुए रिश्वत कांड में श्री संजीत कुमार की गिरफ्तारी दिनांक—08.11.2022 को की गयी है।

संलग्न साक्ष्यों एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्त्ता डॉ0 अंजनी कुमार का मामला मौजा—पांक से संबंधित है, जिसमें कानूनगो के रूप में सुश्री पुजा कुमारी पदस्थापित थी, परन्तु सूचक के लिखित एवं दर्ज करायी गयी ब्यान के अनुसार श्री संजीत कुमार, कानूनगो, पांक मौजा का अनाधिकृत रूप से कार्य का संचालन करते थे। सुश्री पुजा कुमारी, कानूनगो एवं श्री छोटे लाल सोनी, अमीन द्वारा किये जाने वाले कार्य के मध्य श्री संजीत कुमार का हस्तक्षेप करना उनके चरित्र को संदिग्ध तथा कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

स्पष्ट है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सूचक के शिकायत पर दिनांक—22.10.2022 से ही मामले की छान—बीन की जा रही थी तथा दिनांक—08.11.2022 को रिश्वत के साथ श्री छोटेलाल सोनी एवं श्री संजीत कुमार, कानूनगो को गिरफ्तार किया गया है। मौजा— पांक किसी दूसरे कानूनगो को आवंटित था, इसको आधार बनाकर श्री संजीत कुमार द्वारा अपना केवल बचाव का प्रयास किया गया है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम आम जनता के बीच सहयोग से साथ किये जाने वाला कार्य है, जिसमें इनके द्वारा रैयतों से रिश्वत प्राप्त किया जाना अथवा ऐसे मामले में संलिप्त रहना विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के आचरण के विरूद्ध है। इस प्रकार का कृत्य अन्य कर्मियों पर कुप्रभाव नहीं पड़ने तथा सर्वेक्षण कार्य में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिगत इनका संविदा पुर्ननियोजन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अभिलेख के अवलोकन, आवेदक के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक श्री संजीत कुमार, संविदा समाप्त कानूनगो पर लगे सभी आरोप सत्य प्रमाणित होते है तथा निगरानी वाद संख्या— Spl.vig.case no.25/2022vig.P.S case no. 57/2022 साक्ष्य (Evidence) हेतु लंबित है। निगरानी वाद लम्बित रहने के सम्बन्ध में लोक अभियोजक, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है Hindrance and disturbance caused by defence counsel during examination of P.W.

अतः श्री संजीत कुमार (Emp ID-SKN00857), संविदा समाप्त, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा के वाद को खारिज किया जाता है।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–36/2023...4491.......................**पटना, दिनांक :–**...14/08/2025...

प्रतिलिपिः– श्री संजीत कुमार (Emp ID-SKN00857), संविदा समाप्त, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा, ईमेल– sanjeet225@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–36/2023...4491.......................**पटना, दिनांक :–**...14/08/2025...

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–36/2023...4491.......................**पटना, दिनांक :–**...14/08/2025...

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–36/2023...4491.......................**पटना, दिनांक :–**...14/08/2025...

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–36/2023...4491.......................**पटना, दिनांक :–**...14/08/2025...

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–36/2023...4491.......................**पटना, दिनांक :–**...14/08/2025...

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/25

सरकार के अवर सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।